UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 873/36 सी

सेवा मे,

दिनांक 12/6/2024

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में कुलसारी नैल ढालू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.288 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक सं0 1135/36सी0 दिनांक 29.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपत शर्तो एवं धनराशि के जमा किये जाने की सूचना सहित बिन्दुवार अनुपाल आख्या पूर्व में प्रेषित की गई थी। पुनः अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित है–

क्रम सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	शर्त सं0 1 का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.756 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम नौणा सिविल खसरा न0 53,60,43 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लाटेशन से बचे। प्रस्तावित क्षेत्र मे से 1.00 हे0 MDF पाया गया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि वहां 1000 पेड हे0 की दर से वृक्षारोपण किया जा सकता है यदि नही हो guideline 08.11.17 के अनुसार अवनत वन क्षेत्र में 1.00 हे0 क्षेत्र का चयन कर उसका विवरण भी इस कार्यालय में प्रेषित करें जहां MDF के एवज में रोपण कार्य किया जायेगा। गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपातरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण Notification एवं करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। guideline Para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	शर्त सं0 3 का अनुपालन किया जायेगा।
4	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(c) सं0 202/1995 मे IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002,01.08.2003,28.032008,24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (pt.2)दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0	शर्त मान्य है।

Scanned with OKEN Scanner

	दिनांक 05.02.2009 मे जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.288 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि से पेडो की कटाई का न्यूनतम कर देगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 94 पेड से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेषण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त सं0 5 में वाछित धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी गई है। जिसकी प्रति संलग्न है।
6	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानातरित/जमा किए जाएगे।	अनुपालन किया जायेगा।
7	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधो की संख्या बढाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
8	State Govt will inform this office of they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त मान्य है।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला क्लेकटर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त सं0 9 एफ0आर0ए0 2006 में में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार अनुपालन किया गया है।
10	संरक्षित क्षेत्रो/वन क्षेत्र में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगे।	शर्त मान्य है।
11	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयागकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	शर्त सं0 12 का अनुपालन किया जायेगा।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	शर्त सं0 13 का अनुपालन किया जायेगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों का राज्वीय वन विभाग अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
15	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	शर्त सं0 16 का अनुपालन किया जायेगा।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिरिथति में किसी भी अन्य एजेसिया विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तातरित नही की जाएगी।	शर्त सं0 18 का अनुपालन किया जायेगा।
19	इनमे से किसी भी शर्त का उल्लवन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के	शर्त सं0 19 का अनुपालन किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

	दिशानिर्देश फाइल सं0 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2019 के अनुसार उस पर कारवाई होगी।	
20	पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित मे समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	शर्त मान्य है।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग क पर्यवेषण मे तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मान्य है।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेबारी होगी।	अनुपालन किया जायेगा।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/)पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मान्य है।

संलग्नः– 03 प्रतियो मे,

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0 लो0नि0वि0
थराली चमोली

पत्रांक /36 सी0 दिनांकित / /

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0
थराली चमोली।

Scanned with OKEN Scanner

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-01-2022

Agency Name	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6148913217
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/56/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	TharaliChamoli
Amount(in Rs)	1910513/-

Amount in Words :Nineteen Lakh Ten Thousand Five Hundred and Thirteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896148913217 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through cha
even after 7 working days, then kindly mail a copy of y
Email: cb0371@unionbankofindia.com

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०
थराली (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)

आदेश –

जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत नन्दकेशरी–पूर्णा से धरा तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.435 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.870 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(के0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/56/2021/एफ0सी0/2567 दिनांक 31.03.2021 की शर्त सं0–3(क) के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी थराली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत नन्दकेशरी–पूर्णा से धरा तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.435 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम सुय्या, रा0उ0नि0 क्षेत्र मुन्दोली, तहसील थराली की ख0खा0सं0–44 के खसरा सं0–1265 रकबा 5.302 है0 भूमि मध्ये 2.870 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. अन्य कारणों से कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII (II) /2012–18(120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

YEAR (2020–21)
DEPARTMENT NO. XXVI–44
REGISTER SERIAL NO. 10970
DATE 28-8-2021

(हिमांशु खुराना),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 6223 /छब्बीस–44(2020–2021) गोपेश्वर: दिनांक: 25 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, थराली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, थराली।

जिलाधिकारी,
चमोली।

25/08

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
थराली (चमोली)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI
e_mail :- pwdtharali@gma

''प्रमाण पत्र''

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आई0आर0सी0 मानदण्डे अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर जहां–जहां संभव हो वहां स्ट्रिप प्लान्टेसन स्वय व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
थराली (चमोली)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI
Ph. No :- 01363-271224
e_mail :- eecdthrl.pwduk@gov.in

"प्रमाणित पत्र"

प्रमाणित किया जाता है इन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०
थराली (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०
थराली (चमोली)

Scanned with OKEN Scanner

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत नन्दकेशरी - पूर्णा से धरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.435 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय / भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
थराली (चमोली)